

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक


विकल्प - पत्र

1. नाम :- स्नेहा नेगी
2. वर्तमान पदनाम :- अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मैनपुरी
3. वेतनमान :- 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम :- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम :- उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ.प्र.)
6. विज्ञप्ति की तिथि :- 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या - A-2 / E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि :- 13.06.06 (संख्या 2430/दो-4-06- 32(1)/2001 टी.सी. 1

8. योगदान की तिथि :- उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ 17.06.2006
9. जन्म तिथि :- 07.11.1974
10. सेवानिवृत्ति की तिथि :- 30.11.2034

मैं, स्नेहा नेगी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह नेगी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस- 2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।


दिनांक- 13/09/2024

हस्ताक्षर- 
13.09.2024
नाम- स्नेहा नेगी
पदनाम - अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मैनपुरी

घोषणा-पत्र

मैं, स्नेहा नेगी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद मैनपुरी, यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


दिनांक- 13/09/2024

हस्ताक्षर- 
13.09.2024
नाम- स्नेहा नेगी
पदनाम - अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मैनपुरी

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमति स्नेहा नेगी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद मैनपुरी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

दिनांक- 13/09/2024


13-9-24
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
मैनपुरी

Principal Judge
Family Court
Mainpuri